

कार्यालय आदेश संख्या 20/12

महाप्रबंधक (कार्मिक)/गोरखपुर के पत्र सं:- का/227/15/3/1/भाग- 6/5 दिनांक- 28.05.15, रेलवे भर्ती बोर्ड गोरखपुर नामिका - रेभबो/गोर /04 /2010/ कोटि संख्या 03/ टीसी/टीई/ एनईआर दिनांक- 31.03.15 एवं महाप्रबंधक (कार्मिक)/गोरखपुर के पत्र सं:- का/227/05/3/1/भाग- 6/5 दिनांक- 30.08.17 रेलवे भर्ती बोर्ड गोरखपुर नामिका - रेभबो/गोर /04 /2010/ कोटि संख्या 03/ टीसी/टीई/ एनईआर दिनांक- 11.08.17के आलोक में टिकट परीक्षक (5200- 20200+2000 ग्रेड पे) लेवल-3 के पद पर रेलवे भर्ती बोर्ड गोरखपुर द्वारा चयनित अभ्यर्थी जो मुचिधि/ वाराणसी दारा बी-2 विकित्तीय श्रेणी में फिट पाये गये हैं तथा वरिष्ठ प्राचार्य क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान मुजफ्फरपुर के पत्र सं-टी/327/23/1/भाग-VII दिनांक-11.01.18 द्वारा दिनांक-15.11.17 से 14.12.17 तक टिकट परीक्षक के प्रशिणोपरान्त प्रशिक्षण में उत्तीर्ण घोषित हुए हैं, के उपरान्त इनकी अस्थाई नियुक्ति टिकट परीक्षक (5200-20200+2000 ग्रेड पे) लेवल-3 के पद पर (समय- समय पर देय भर्ती के साथ) करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित वेतनदर/ स्टेशन पर पदस्थापित किया जाता है।

क्र.सं	नाम(सर्वश्री)	पिता का नाम	जन्मतिथि	मेडिकल प्रमाण पत्र	वेतनदर/ लेवल	कार्यस्थल	मेरिट क्र सं
1.	राकेश कुमार पाण्डेय S. इन्द्रजीत पाण्डेय	इन्द्रजीत पाण्डेय	20.01.86	002578/35-बी-2 दिनांक-09/07.04/08.17	21700 लेवल-3	छपरा	01
2.	अनिल कुमार(अजा)	श्री प्रमोद कुमार	14.11.86	002805/062-बी-2 दिनांक-06.10.17	21700 लेवल-3	सीवान	02
3	सुजीत कुमार	श्री अरुण सिंह	03.02.89	002803/060-बी-2 दिनांक-19.09.17	21700 लेवल-3	गाजीपुर सिटी	03
4	सुधान्धु रंजन	श्री सज्जन बसन्त बहार	01.01.92	002802/059-बी-2 दिनांक-15.09.17	21700 लेवल-3	बलिया	04

ये तृतीय श्रेणी में अस्थायी कर्मचारी पर लागू होने वाले सभी नियमों एवं शर्तों के अधीन शासित होंगे। इन्हें वेतन का भुगतान इनके वास्तविक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा। रेलवे बोर्ड के पत्रांक संख्या-ई(एन.जी) 1/90/आईसीआई/1 दिनांक-04.02.91 के आदेशानुसार इनके प्रशिक्षण की अवधि वेतन वृद्धि के लिए अर्हक सेवा मानी जायेगी ये दिनांक- 01.01.04 से लागू नई पेन्शन प्रणाली से शासित होंगे। ये अपने पद पर दो वर्ष परिविक्षा(प्रोवेशन) पर कार्यरत रहेंगे। रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या-2004-ई/एस.सी.टी/1/99/2 दिनांक-07.07.06 के अनुसार अजा/अजजा कोटे से संबंधित होने का जिला अधिकारी दारा प्रमाण पत्र की सत्यता की पुष्टि न हो जाए। यदि इसमें एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में किसी प्रकार की असत्यता पायी जाती है तो बिना कारण बताओ नोटिस के सेवा समाप्त कर दी जायेगी। तथा आपके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के तहत कार्यवाही की जायेगी। ये अतिरिक्त प्रादेशिक सेवा के रेल इंजी. यूनिट में 07 वर्ष तथा प्रादेशिक सेना के आरक्षित वर्ग में 08 वर्ष अथवा समय-समय पर निर्धारित अन्य अवधि के लिए सैन्य सेवा में लगाये जाने के पात्र होंगे।

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान मुजफ्फर पुर के पत्र संख्या-टी/327/23/01/भाग-VIII दिनांक-11.01.18 द्वारा टीई के प्रशिक्षण दिनांक- 15.11.17 से 14.12.17 तक प्रशिक्षण में एवं दिनांक-15.12.17 से कार्यालय आदेश जारी होने की तिथि तक प्रतिक्शा रत रहे हैं उक्त प्रतिक्शारत अवधि को प्रशिक्षण अवधि का विस्तार माना जायेगा।

उक्त पर सक्षम अधिकारी का आदेश प्राप्त है।

Allyada
मंडल वाणिज्य प्रबंधक
वाराणसी
दिनांक-14.02.18

संख्या- का/वा/227/टिकट संग्रहक/97

तलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. वमवाप्र/वाराणसी
2. वमविप्र/वाराणसी
3. स्टेडी/मुदिनि- सीवान, छपरा, बलिया एवं गाजीपुर सिटी, कर्मचारी के कार्यभार ग्रहण की तिथि से तत्काल अवगत करायें।
4. कार्यालय आदेश पुस्तिका
5. कार्याधि परिचालन बिल
6. संबंधित कर्मचारी
7. मंडल मंत्री नरमू, एससी/एसटी एसोसिएशन/वाराणसी

14/2/18
कृते मंडल रेल प्रबंधक(का.)
वाराणसी